न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 233/2016

1. बलवीरकौर पत्नी बलवंतसिंह पुत्री हजारासिंह पुत्र मेहरसिंह जाति मजहबी सिख निवासी मटीली राठान वर्तमान निवासी सिमरी तहसील पलिया जिला लखीमपुरा खिरी (उतर प्रदेश)
2. भजनकौर पत्नी पालसिंह पुत्री हजारासिंह जाति मजहबीसिख निवासी मटीली राठान वर्तमान निवासी सिमरी तहसील पलिया जिला लखीमपुरा खिरी (उतर प्रदेश)

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर ।
2. रवेलसिंह
3. दलीपसिंह
4. कर्मसिंह
5. बलविन्द्रसिंह
6. भागसिंह

पिसरान प्यारासिंह जाति मजहबीसिख निवासी 18 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

7. हरदेवसिंह पत्र प्यारासिंह जाति मजहबी सिख निवासी 18 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर –मृतक

7/1 छिन्द्रकौर पत्नी हरदेवसिंह मजहबी सिख निवासी 18 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

7/2 कुलदीपसिंह पुत्र हरदेवसिंह मजहबी सिख निवासी 18 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

7/3 मनदीपसिंह पुत्र हरदेवसिंह मजहबी सिख निवासी 18 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

7/4 संदीपसिंह पुत्र हरदेवसिंह मजहबी सिख निवासी 18 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

8. गुरमीतकौर पुत्री प्यारासिंह पत्नी बलकारसिंह जाति मजहबी सिख निवासी 22 एलएनपी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

9. कमलजीतकौर पुत्री प्यारासिंह पत्नी दर्शनसिंह केअर ऑफ दर्शनसिंह मैनेजर ओ.बी.सी बैंक शाखा कुंज विहार पुरानी आबादी श्रीगंगानगर ।

10. भजनसिंह पुत्र हजारासिंह निवासी खेतीगढ़ तहसील लघासर जिला लखीमपुरा खीरी (उतर प्रदेश)

—रेस्पोडेन्टान

पील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.रा.अ. 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 27.03.1973

उपस्थितिः—

श्री बलराम स्वामी , अभिभाषक अपीलांट

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता ।

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक रेस्पों.10

निर्णय **दिनांक :— 31.10.2017**

अपीलार्थीगण यह अपील उपखंड अधिकारी तत्कालीन एम ओ श्रीगंगानगर के द्वारा जारी सनद सं. 9456 दिनांक 27.03.1973 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा चक 18 एफ बड़ा के मु.न. 26 के कि.न. 1 से 25 की भूमि प्यारासिंह के नाम से जारी की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि प्यारासिंह को बतौन नों कलेमेंट जीवों के आधार पर आवंटन हुई थी जिसमें अपीलांट के माता—पिता भी शामिल थे एवं उनका 2/5 हिस्सा बनता है। ऐसी स्थिति में

31/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी.न्यायालय द्वारा जो सनद जारी की गई वह सही नहीं है । अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण के पिता व माता को बिना सुने पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्यारासिंह के परिवार के सभी सदस्यों के नाम से सनद जारी करने के आदेश दिये जावें ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा यह अपील मियाद पेश की है इतने लम्बे विलम्ब को माफ नहीं किया जा सकता । अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थीगण का मुख्य तर्क है कि विवादित भूमि प्यारासिंह को जीवों के आधार पर आवंटित हुई थी इसलिए अपीलार्थीगण के माता पिता का हक व हिस्सा बनता था एवं उनके नाम से भी सनद जारी होनी चाहिए । सनद में अपीलार्थीगण के पिता का नाम प्यारासिंह के भाई के रूप में अंकित है। ऐसी स्थिति में रेकार्ड देखकर यह सुनिश्चित करना है कि पाक विस्थापितों के इन्द्राजात जिस रूप में Basic रजिस्टर में किये जाते है तथा उसमें दर्ज परिवार के सदस्यों की सख्या के आधार पर रकबा निर्धारित होना निर्देशित है, सम्बन्ध में भारत सरकार की guide line अनुसार सनद का परीक्षण कर अगर आवश्यक हो तो पक्षकारों को सुनकर संशोधन हेतु पत्रावली अधी.न्यायालय को रिमांड की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

31/10/17

(प्रेमराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर